



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा।

वन भवन, चाईबासा, पिन-833201 Mobile No. 8987790366 E-mail: dfo-porahat@gov.in

पत्रांक- 1600 / चाईबासा

दिनांक- 15-09-2025

सेवा में,

Senior GM (JCP),
M/S Power Grid Corporation of India,
400/200 KV Sub Station,
Vill-Rajaulatu, P.O.-Namkum,
Dist.-Ranchi-834010.

विषय :- सिमडेगा सब स्टेशन से मनोहरपुर सब स्टेशन तक 132 के०वी० डी०/सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 26.814 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-632, दिनांक-25.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (अनुलग्नक-1) के संबंध में सूचित करना है कि उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई की विवरणी निम्नांकित है:-

अनुपालन	कृत कार्रवाई
मुख्य प्रबंधक (JCP), Jamshedpur का पत्रांक-ER-1/JCP/JSR/FP/JH/TRANS/18253/S-M/3918, दिनांक-28.09.2018 द्वारा त्रुटिपूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था।	इस कार्यालय के पत्रांक-1175, दिनांक-26.11.2020 द्वारा उच्चाधिकारी की सेवा में अग्रेतर कार्यार्थ अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-583, दिनांक-19.04.2021 द्वारा शर्त संख्या-21 का अनुपालन करने एवं पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन Online उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। इस कार्यालय के पत्रांक-231, दिनांक-21.02.2022 द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा की सेवा में प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ एवं पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक-485, दिनांक-15.03.2022 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय में अनुपालन प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया था। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक-679, दिनांक-06.04.2022 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में अग्रसारित किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-470, दिनांक-07.06.2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की सेवा में अनुपालन प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया था।
शर्त सं०-8 (Pillaring work)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-645, दिनांक-15.07.2022 द्वारा Stage-I की शर्त संख्या-8 (Pillaring work) से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ था।

	<p>अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को इस कार्यालय के ज्ञापांक-909, दिनांक-19.07.2022 द्वारा अनुरोध किया गया था।</p> <p>वरीय उप महा प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, जमशेदपुर सबस्टेशन, रामचन्द्रपुर का पत्रांक-इ.आर.-1/जे.एस.एस.आर./एस.एम./18253/1149, दिनांक-19.08.2022 द्वारा शर्त संख्या-8 के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था।</p> <p>इस कार्यालय के पत्रांक-1184, दिनांक-09.09.2022 द्वारा शर्त संख्या-8 (Pillaring) का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा की सेवा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया था।</p> <p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1098, दिनांक-19.10.2022 द्वारा इस शर्त का अनुपालन प्रतिवेदन अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की सेवा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया था।</p> <p>स्पष्टतः Stage-I की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन में त्रुटियाँ रहने के कारण विलम्ब हुआ है।</p>
--	---

आपका पत्रांक-3918, दिनांक-28.09.2018 द्वारा समर्पित Stage-I की शर्त संख्या-3 (Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be Charged by the State Govt. from the User Agency.) पर सहमत होते हुए आपके द्वारा undertaking समर्पित किया गया था, सुलभ संकेत हेतु छाया प्रति संलग्न, अनु०-2।

GOI, Minister of Environment, Forest and Climate Change के पत्रांक-File no.5-3/2011-FC (Vol.-1), दिनांक-19.01.2022 की कण्डिका-(ii) तथा प्रसंगाधीन पत्र में दिये गये निदेशानुसार Additional NPV की राशि देय है। तदनुसार Additional NPV की राशि 8,58,918.00 (आठ लाख अन्दावन हजार नौ सौ अठारह) रु० जमा किया जाना आवश्यक है, गणना पत्र संलग्न (अनु०-3)। अतः उल्लेखित राशि को e-portal (<https://paribesh.nic.in/>) के माध्यम से CAMPA Fund में जमा करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को देने की कृपा की जाए।

अनु०:- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा।

ज्ञापांक- 1060 / चाईबासा, दिनांक- 15-09-2025 /
प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा को सूचनार्थ समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा।



Office of the Divisional Forest Officer, Porahat Forest Division, Chaibasa

Calculation Chart of Additional NPV

Calculation of Additional NPV on revised rate for diversion of 3.70 Ha. forest land under Porahat Forest Division, Chaibasa .

- (i) Area of Diversion under Simdega Forest Division :- 23.114 ha.
(ii) Area of Diversion under Porahat Forest Division :- 3.70 ha.


Total Forest land diverted :- **26.814 ha.**


Calculation for Additional NPV for Diversion of 3.70 ha forest land of 132 KV D/C Simdega- Manoharpur Transmission Line in favours of JUSNL.

In compliance of condition no 3 of Stage-1 clearance granted vide letter no F.P./JH/TRANS/18253/2016/1213 dated 08.05.2017 of Government of India, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Regional Office, Ranchi.

The calculation of additional NPV is based as per the circular no 05-3/2011 FC (Vol.-1) dated 06.01.2022 of GOI, Environment, Forest & Climate Change, New Delhi.

1.	Area of Forest land for diversion	:-	3.70 ha.
2.	Density of Forest land under Porahat Forest Division	:-	0.2
3.	Eco class of Forest land proposed for diversion	:-	IV
4.	Revised Rate of Eco class IV (Open Forest)	:-	6.70140 Lakh/ha.
5.	Amount of NPV for 3.70 ha.	:-	24.9518 Lakh
6.	Amount of NPV already deposited by User Agency	:-	16.206 Lakh
7.	Difference of Amount of NPV	:-	8.58918 Lakh
8.	Net demand (Sl no. 5-6)	:-	8.58918 Lakh
(Rs. Eight Lakh fifty eight thousand nine hundred eighteen) only.			


Divisional Forest Officer,
Porahat Forest Division, Chaibasa.


11.9.25



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड-834002, Email: pccf-ednoda@gov.in

ज्ञापक 632

दिनांक 25/11/25

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/सुमला/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पौडाहाट वन प्रमण्डल/सिमडेगा वन प्रमण्डल/ मुख्य प्रबंधक, (जे०सी०पी०), पावरग्रिड, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र वर्णित एन०पी०भी० की अंतर राशि वसूली हेतु मांग-पत्र निर्गत कर वसूली संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

पता: द्वितीय मंज, झारखण्ड राज्य अकादमिक जलवायु पर्यवेक्षण केंद्र, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarters - Jharkhand State Housing Board, Harma Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2419002, 2419007; E-mail: ro.jharkhand@moef.gov.in



संख्या: FP/JH/TRANS/18253/2016/414

दिनांक: 10.07.2025

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार,
नेपाल हाउस, राँची - 834002.



विषय:- स्लिडेगा सब स्टेशन से मनोहरपुर सब स्टेशन तक 132 के०वी० डी०/सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 26.814 हे० वन भूमि अयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- Ref: 1. Your letter No. Van Bhumi-24/2016-2354(E)/Va.Pa. dated 22.06.2023 and letter No. Van Bhumi-24/2016-1917/Va.Pa. dated 03.06.2025.
2. This office letter of even number dated 08.05.2017.

महाशय,

I am directed to apprise you regarding your above referenced letter that as the in-principle approval in the extant proposal was issued by this office on 08.05.2017 and the compliance of it seeking final approval is submitted by the State Forest Department on 22.06.2023 & 18.06.2025 through online, which is more than 5 years since Stage-I issuance. Therefore, as per para 3.3 (b) of Chapter 3 of Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshashan Evam Samvardhan) rules, 2023, the new increased rates of NPV shall be applicable in the present case.

The State Government may kindly realise the differential NPV amount and inform this office accordingly for further processing of the proposal.

विश्वसभाजन

Digitally signed by
Poreddy Sanjeeva Reddy
Date: 14-07 (परेड्डी संजीव रेड्डी)
14:24:39
सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह - नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)



1, C-09, जे.सी.पी. ग्रुप कार्यालय, 400/220 केवी उपकेन्द्र, (जमशेदपुर), रामचन्द्रपुर, गम्हरिया, सराइकेला, झारखण्ड -832108
C-09, JCP, Group Office, 400/220 kV Substation (Jamshedpur), Ramchandrapur, Gamharia, Seraikela, JH-832108
ksaini@powergridindia.com

Annexure - E

UNDERTAKING IN RESPECT OF PAYMENT OF ADDITIONAL NPV IN CASE OF VARIATION

Condition no. 03 as per approval ref. FP/JH/TRANS/18253/2016/1213 DATED 08-05-17

On behalf of JUSNL, it is UNDERTAKEN to pay Additional NPV (if any) in future, calculated by the State Government for diversion of Forest land for construction of 132 KV D/C Simdega-Manoharpur Transmission Line.

Authorised Signatory,

(R K Saini)
Chief Manager (JCP)

19.6.17
Sheo Kumar Prasad
Divisional Forest Officer
Porahat Forest Division
Chaibasa
19/6/17

आर० के० सैनी
R. K. SAINI
मुख्य प्रबंधक (जेसीपी)
CHIEF MANAGER (JCP)
पावरग्रिड, जमशेदपुर
POWERGRID, JAMSHEDPUR



कार्यालय:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।

E-mail – dfo-simdega@gov.in

Mobile No – 8987790117

Pin Code - 835235

पत्रांक- 1908

दिनांक- 08/08/2025

सेवा में,

वरीय प्रबंधक,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, जमशेदपुर,
जिला – सरायकेला, झारखंड-832108


विषय :- सिमडेगा सब-स्टेशन से मनोहरपुर सब-स्टेशन तक 132 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 26.814 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची का ज्ञापांक-632 दिनांक-25.07.2025 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन, राँची का ज्ञापांक-989 दिनांक-06.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर स्टेज-I की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें निहित शर्त सं0-2 के अनुपालन हेतु पूर्व में इस वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले 23.114 हे0 वनभूमि का NPV मद की राशि 1,85,60,542.00 रू0 मात्र NEFT के माध्यम से तदर्थ कैम्पा के पक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सुन्दर नगर, नई दिल्ली के खाता सं0-344902010105420 में जमा किया गया था। NPV की दर में वृद्धि होने के कारण नई संशोधित दर रू0 9,57,780.00 के दर से कुल 2,21,38,127.00 होता है। इस प्रकार अंतर की अतिरिक्त राशि 35,77,585.00 (पैंतीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ पचासी) रू0 मात्र e-portal (<http://parivesh.nic.in>) के माध्यम से ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करने के उपरांत साक्ष्य की प्रति सहित विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन


07/08/25
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।
07/08/2025